रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2001/चैत्र 10, 1923
No. 160] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2001/CHAITRA 10, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2001

सा. का. नि. 237(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 186"

संविधान (राजस्व वितरण) सं0 4 आदेश, 2001

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संव 4 आदेश , 2000 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित राजस्व सहायता अनुदान के रूप मे भारत की संचित निधि पर भारित होगा-

(क) पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य में से प्रत्येक राज्य के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां,-

सारणी

राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
अरुणाचल प्रदेश	278.42
छत्तीसगढ़	2100.00
गोवा	92.72
हरियाणा	1470.88
हिमाचल प्रदेश	656.68
जम्मू-कश्मीर	744.06
कर्नाटक	3941.18
केरल	3296.28
मध्य प्रदेश	5054.70
महाराष्ट्र	6567.28
मणिपुर	187.72
मेघालय	256.08
मिजोरम	78.56
नागालैण्ड	128.66
उड़ीसा	3455.88
राजस्थान	4909.48
सिक्किम	52.92
तमिलनाडु	4661.18
त्रिपुरा	284.60
उत्तर प्रदेश	11671.34
उत्तरांचल	1520.00
पश्चिमी बंगाल	5777.30
योग	**57185.92**

परंतु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परंतु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदान के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी ;

(ख) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों के लिए नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां :-

सारणी

राज्य (1)	रुपए लाख में (2)
आंध्र प्रदेश	1646.58
अरुणाचल प्रदेश	6.84
असम	215.42
छत्तीसगढ़	286.10
गोवा	46.36
गुजरात	1325.22
हरियाणा	366.40
हिमाचल प्रदेश	38.92
जम्मू-कश्मीर	156.58
कर्नाटक	1248.20
केरल	752.46
मध्य प्रदेश	1274.00
महाराष्ट्र	3162.54
मणिपुर	43.96
मेघालय	27.00
मिजोरम	38.44
नागालैण्ड	17.86
उड़ीसा	399.60
पंजाब	547.26
राजस्थान	994.16
सिक्किम	2.08
तमिलनाडु	1933.66
त्रिपुरा	40.16
उत्तर प्रदेश	2278.90
उत्तरांचल	237.42
पश्चिमी बंगाल	1974.90
योग	**19061.02**

परंतु किसी राज्य सरकार द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां उक्त वित्तीय वर्ष मे शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दी जा रही राशियों के अतिरिक्त होंगी:

परंतु यह और कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को, आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है , वर्ष 2004-05 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान जारी किया जाना है ।

परंतु यह भी कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में यथा अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के निबंधनों के अनुसार और इस संबंध में राज्य सरकारों को उस सरकार से अनुदानों के उपयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएंगी।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

———

[फा. सं. 19(4)/2001-वि-I]

सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2001

G.S.R. 237(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 186"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 4 ORDER, 2001

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2001.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2000, as grants-in-aid of the revenues of—

(*a*) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table towards grants for Panchayati Raj Institutions:—